# देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

## –: अधिसूचना :–

अधिसूचना संख्या ...1132.../भू अ० दिनांक : 23/10/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम–शहरपुरा, थाना–सारठ, थाना सं०–561, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **शहरजोरी मोड़ (एम०डी०आर०–222 पर)–आसनबनी–अलगबरा–दुमदुमी–दनरबाद–करौं तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम–शहरपुरा, थाना–सारठ, थाना सं०–561, अंचल–सारठ, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.55** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

| क. स. | खाता सं. | सर्वे भूखंड सं0 | स्वामित्व का प्रकार | भूमि का प्रकार | अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता | सीमा (भूखंड सं0) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | उ0 | द0 | पू0 | प0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | 129 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.07 | प्रह्लाद महरा पे० बेगरू महरा वो उज्जवल महरा वो जितन महरा पे० कानु महरा वो चंचला देवी पति स्व० हुरो महरा वो बीसन महरा वो दामोदर महरा पे० धोकल महरा अंश समान। सा० देह। | गोपालपुर, 536 | बुधनाडीह, 560 | पिपरासोल, 562 | अर्जित दाग का अंश रकवा |
| 2 | 1 | 130 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.03 | चंचला देवी पति स्व० हुरो महरा वो बिसन महरा वो दामोदर महरा पे० धोकल महरा अंश समान सा० देह। | | | | |
| 3 | 1 | 137 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.11 | तथैव। | | | | |
| 4 | 1 | 140 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.09 | तथैव। | | | | |
| 5 | 2 | 52 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.03 | जोला टुडू पे० बाबुधन टुडू वो सुतीलाल टुडू पे० सहदेव टुडू वो जीवन टुडू पे० सिद्धि टुडू वो सुरेन्द्र टुडू वो पेड़रा टुडू पे० कली टुडू वो रूबी टुडू वो सुरेन्द्र टुडू पे० महा टुडू अंश समान सा० देह। | | | | |
| 6 | 2 | 54 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.03 | तथैव। | | | | |
| 7 | 3 | 111 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.08 | बालेश्वर प्र० राय पे० सूरजू प्र० राय वो प्रतिमा देव्या पति स्व० जयप्रकाश राय वो मथुरा प्र० राय वो शशिभूषण राय वो रविन्द्रनाथ राय पे० रामेश्वर प्र० राय वो शोभा देव्या पति स्व० नरेश प्रसाद राय वो महेश प्रसाद राय पे० बद्री प्रसाद राय वो नित्यानन्द राय वो प्रमोद कुमार राय पे० विन्देश्वरी प्रसाद राय वो इन्द्रनारायण राय वो निर्मल कु० राय पे० तिर्थनाथ राय अंश समान। सा० देह। | | | | |
| 8 | 5 | 51 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.06 | दशरथ मुर्मू वा`जलय मुर्मू वो भादे मुर्मू वो शामु मुर्मू पे० कलू मुर्मू वो सुकल मुर्मू वो बाबुजन मुर्मू पे० परमेश्वर मुर्मू वो मण्डन | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | मुर्मू बल्द सुना मुर्मू जमाबंदी रैयत सुअला मुर्मू पे० देआल मुर्मू जमाबन्दी रैयत अंश समान सा० देह। | | | | |
| 9 | 5 | 55 | रैयती | बाड़ी–2 | 0.05 | तथैव। | | | | |
| | | | | कुल रकवा– | **0.55** | | | | | |

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

16/10/19    22-10-19    24/10/19

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर    अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1132/ भू अ०, देवघर, दिनांक 23/10/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/10/19    22-10-19    24/10/19

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर    अपर समाहर्त्ता, देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।